संख्या0-7/जन स्वा0-8-01/2018-39 (ज0)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना
क्षेत्रीय अपर निदेशक, मुजफ्फरपुर/पटना
अपर निदेशक,स्वा0 से0,बिहार,पटना सह नियंत्री पदा0 मुख्य मलेरिया कार्यालय,पटना
संबंधित सिविल सर्जन, (सूची संलग्ण)।

पटना, दिनांक :01-10-18

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-003 प्रशिक्षण-0002 जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड-20-2210060030002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल ₹ 5,12,10,972/- (पॉच करोड़ बारह लाख दस हजार नौ सौ बहत्तर रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-13(7)ब दिनांक-12.06.18 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल ₹ 5,12,10,972/- (पॉच करोड़ बारह लाख दस हजार नौ सौ बहत्तर रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-003 प्रशिक्षण-0002 जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड 20-2210060030002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से की जायेगी ।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, मुजफ्फरपुर/पटना/अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना सह नियंत्री पदाधिकारी मुख्य मलेरिया कार्यालय, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना होगें ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे ।

6. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संस्थानों को कार्यरत बल के आधार पर वेतन /भत्ता भुगतान तथा अन्य मद के लिए नियमित व्यय हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

7. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी ।

8. इस आवंटन से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वंय अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

9. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

10. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक– 96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.3.2001, 241(9) दिनांक–21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।

12. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा संम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

13. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

28/9/18

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 39(7)ब पटना, दिनांक : 01-10-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिला पदाधिकारी/सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी–7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2018–19 में जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड संख्या–20–2210060030002

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	कार्यालय व्यय (13–01)	वर्दी / पोषाक (13–06)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना	400000	44000	80000	82000	20000	24000	650000	5000	0	655000	885/13.9.18
2	सिविल सर्जन, पटना	400000	44000	80000	32000	20000	24000	600000	4000	0	604000	6347/4.9.18
3	सिविल सर्जन, आरा	68000	7480	13600	0	3400	4492	96972	5000	1000	102972	3114/7.8.18
4	सिविल सर्जन, मधुबनी	1800000	198000	360000	0	90000	108000	2556000	5000	5000	2566000	1906/30.7.18
5	सिविल सर्जन, मुंगेर	100000	12000	20000	0	5000	6000	143000	0	0	143000	1881/17.9.18
6	सिविल सर्जन, जहानाबाद	1400000	168000	280000	0	70000	84000	2002000	0	0	2002000	1979/12.9.18
7	सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर	2300000	253000	460000	0	115000	138000	3266000	0	0	3266000	2864/3.9.18
	कुल योगः–	**6468000**	**726480**	**1293600**	**114000**	**323400**	**388492**	**9313972**	**19000**	**6000**	**9338972**	

(तिरान्वे लाख अड़तीस हजार नौ सौ बहत्तर) रू0 मात्र

39(7)9
01-10-18

सरकार के विशेष सचिव

D:\Bud 2018-19 Allot\kamal\Jan Swsth 1Viv I-II

विवरणी–II

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	लोक स्वा0 संस्थान, पटना	बी0एच0डब्लू0 कार्यक्रम	क्षेत्र प्रदर्शन केन्द्र राजगीर	पोषाहार योजना	विसूचिका मैक्सीन प्रयोगशाला	कुल
1	वेतन (0002–01–01)	6300000	9200000	3300000	1400000	8000000	28200000
2	जीवन यापन भत्ता (0002–01–03)	630000	920000	330000	140000	800000	2820000
3	मकान किराया भत्ता (0002–01–04)	1575000	2300000	825000	350000	2000000	7050000
4	परिवहन भत्ता (0002–01–05)	60000	60000	0	60000	60000	240000
5	चिकित्सा भत्ता (0002–01–06)	252000	368000	132000	56000	320000	1128000
6	अन्य भत्ता (0002–01–07)	315000	460000	165000	70000	400000	1410000
	योग वेतन एवं भत्ते:–	**9132000**	**13308000**	**4752000**	**2076000**	**11580000**	**40848000**
7	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002–13–02)	100000	0	0	0	0	100000
8	विद्युत प्रभार (0002–13–04)	400000	50000	0	0	50000	500000
9	किराया महसूल एवं कर (0002–14–01)	54000	0	0	0	0	54000
10	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002–21–01)	50000	100000	0	0	50000	200000
11	मशीने एवं उपस्कर (0002–52–01)	50000	100000	0	0	20000	170000
	कुल योग:–	**9786000**	**13558000**	**4752000**	**2076000**	**11700000**	**41872000**

(चार करोड़ अटठारह लाख बहत्तर हजार रूपये मात्र)

सरकार के विशेष सचिव

व्यय का सारांश:–

विवरणी – III

क्रमांक	कोड एवं संस्थान का नाम	विवरणी I	विवरणी II	कुल
1	वेतन (0002–01–01)	6468000	28200000	34668000
2	जीवन यापन भत्ता (0002–01–03)	726480	2820000	3546480
3	मकान किराया भत्ता (0002–01–04)	1293600	7050000	8343600
4	परिवहन भत्ता (0002–01–05)	114000	240000	354000
5	चिकित्सा भत्ता (0002–01–06)	323400	1128000	1451400
6	अन्य भत्ता (0002–01–07)	388492	1410000	1798492
	योग वेतन एवं भत्ते:–	**9313972**	**40848000**	**50161972**
7	यात्रा व्यय (0002–11–01)	0	0	0
8	कार्यालय व्यय (0002–13–01)	19000	0	19000
9	वाहन का इंधन एवं रख रखाव	0	100000	100000
10	विद्युत प्रभार (0002–13–04)	0	500000	500000
11	वर्दी / पोषाक (0002–13–06)	6000	0	6000
12	किराया महसूल एवं कर (0002–14–01)	0	54000	54000
13	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002–21–01)	0	200000	200000
14	मशीने एवं उपस्कर (0002–52–01)	0	170000	170000
	कुल योग:–	**9338972**	**41872000**	**51210972**

(पॉच करोड़ बारह लाख दस हजार नौ सौ बहत्तर रूपये मात्र)

39(7)9
01-10-18

सरकार के विशेष सचिव

D:\Bud 2018-19 Allot\kamal\Jan Swsth 1Viv IV

विवरणी –IV

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाईयां	कुल उपबंधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वेतन (0002–01–01)	108000000	54415000	34668000	89083000	18917000
2	जीवन यापन भत्ता (0002–01–03)	12000000	5868650	3546480	9415130	2584870
3	मकान किराया भत्ता (0002–01–04)	22920000	11183400	8343600	19527000	3393000
4	परिवहन भत्ता (0002–01–05)	2165000	805000	354000	1159000	1006000
5	चिकित्सा भत्ता (0002–01–06)	5412000	2618750	1451400	4070150	1341850
6	अन्य भत्ता (0002–01–07)	7160000	3162900	1798492	4961392	2198608
	योग 20-2210.06.003.0002.01 वेतन	**157657000**	**78053700**	**50161972**	**128215672**	**29441328**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002–06–01)	1000000	0	0	0	1000000
8	यात्रा व्यय (0002–11–01)	280000	120000	0	120000	160000
9	कार्यालय व्यय (0002–13–01)	500000	269000	19000	288000	212000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002–13–02)	580000	0	100000	100000	480000
11	दूरभाष (0002–13–03)	12000	6000	0	6000	6000
12	विद्युत प्रभार (0002–13–04)	1000000	360000	500000	860000	140000
13	विधि प्रभार (0002–13–05)	1000000	215000	0	215000	785000
14	वर्दी / पोषाक (0002–13–06)	100000	67000	6000	73000	27000
15	किराया महसूल एवं कर (0002–14–01)	108000	54000	54000	108000	0
16	प्रशिक्षण व्यय (0002–20–03)	2500000	0	0	0	2500000
17	सामग्री एवं पूर्तियॉं (0002–21–01)	500000	0	200000	200000	300000
18	दवा भंडार (0002–21–02)	600000	0	0	0	600000
19	छात्रवृत्ति / वजीफा (0002–34–01)	26000	13000	0	13000	13000
20	मशीने एवं उपस्कर (0002–52–01)	500000	0	170000	170000	330000
	कुल योग:–	**166363000**	**79157700**	**51210972**	**130368672**	**35994328**

39(7)9
01-10-18

सरकार के विशेष सचिव